Mail.

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/वि.स.–407/1008 **भोपाल, दिनांक** 24.02.2021

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय (समस्त).....

विषय :– लेखा सत्यापन के संबंध में।

––00––

विषयान्तर्गत मुख्यालय स्तर की समीक्षा में यह पाया गया है कि लेखा सत्यापन का कार्य युक्तियुक्त समयावधि में न होकर अनावश्यक रूप से लम्बित रहते हैं आगे के वर्षों में ऐसे लम्बित लेखा सत्यापनों को विवादास्पद मानकर इनका निराकरण करने में सचिवों द्वारा कोई रूचि नहीं ली जाती है। जिससे लम्बित लेखा सत्यापनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है।

म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 20 एवं धारा 21 एवं उपविधि की कंडिका 21 एवं 22 में लेखा सत्यापन अभिलेखों की जांच एवं अवशेष फीस का निर्धारण संबंधी प्रावधान विहित है। लेखा सत्यापन के संबंध में समय–समय पर मुख्यालय द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। किन्तु वांछित प्रगति अपेक्षित है।

किसी व्यापारी द्वारा वांछित लेखे प्रस्तुत नहीं किए जाने पर धारा 21 के अंतर्गत स्वविवेक से निर्धारण करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् भी बिना किसी उचित कारण के लेखे प्रस्तुत नहीं करने वाले व्यापारियों को और अधिक अवसर देकर सत्यापन कार्य लम्बित रखने के स्थान पर विहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने को प्राथमिकता दी जाए। इसी प्रकार मण्डी में संधारित होने वाले वांछित लेखे नियमित रूप से संधारित होना सुनिश्चित किया जाए तथा मण्डी सचिव एवं आंचलिक कार्यालय इसकी निरन्तर समीक्षा करें कि व्यापारियों के क्रय विक्रय अनुज्ञा एवं मण्डी शुल्क संबंधी समस्त अभिलेख संधारित एवं अद्यतन रखे जा रहे हैं। मण्डी के अभिलेख अद्यतन रहने से लेखा सत्यापन त्वरित गति से हो सकेगा।

वर्तमान में ई–अनुज्ञा पोर्टल कार्यरत है जिसके अंतर्गत व्यापारियों के क्रय–विक्रय एवं जमा मण्डी शुल्क की विभिन्न रिपोर्ट अद्यतन स्थिति में प्राप्त हो जाती है इसलिए ई–अनुज्ञा पोर्टल प्रारम्भ होने के पश्चात् के लेखा सत्यापन इन रिपोर्ट के आधार पर तत्परता से किया जा सकता है। समस्त आंचलिक कार्यालय लेखा सत्यापन कार्य की मण्डीवार साप्ताहिक समीक्षा करेंगे और इसमें आने वाली कठिनाईयों का अपने स्तर से निराकरण करेंगे एवं प्रतिमाह प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराएंगे।

आंचलिक कार्यालय इस बिन्दु पर भी समीक्षा करेंगे कि लेखा सत्यापन लम्बित रहने का कारण मण्डी सचिव एवं अन्य संबंधित कर्मचारी की लापरवाही या संलिप्तता है तो संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव पूर्ण अभिमत के साथ मुख्यालय को प्रेषित करें।

आंचलिक कार्यालय उपविधि की कंडिका 21(1)(च) के अनुसार पुनः लेखा सत्यापन के अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक को दिए गए हैं जिसका उपयोग करते हुए एवं पूर्व निर्देशों के अनुसार कम से कम 10% पुनः लेखा सत्यापन अनिवार्यतः करेंगे तथा मासिक समीक्षा में प्रगति से अवगत कराएंगे।

लेखा सत्यापन कार्य अधिक सुगम करने एवं कार्य की त्वरित समीक्षा हेतु ई–अनुज्ञा पोर्टल पर ही लेखा सत्यापन करने की व्यवस्था की जा रही है। अतः वर्तमान तक लम्बित समस्त लेखा सत्यापनों का कार्य उपरोक्तानुसार शीघ्र पूर्ण करा लिया जाए ताकि उक्त व्यवस्था प्रारम्भ होने पर तत्काल उसका उपयोग किया जा सके।

उपरोक्त समस्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/वि.स.–407/ 1009 **भोपाल, दिनांक** 24 **.02.2021**

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल
02. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
03. अध्यक्ष/भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मण्डी समिति, ... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला..... की ओर पालनार्थ।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल